

मांग संख्या 20  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद कर्मांक 1**

प्रशिक्षुता अधिनियम 1965 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षुओं के मानदेय भुगतान हेतु ₹13.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कर्मांक 2**

बिलासपुर द्वितीय चरण जल प्रदाय योजनांतर्गत शेष राशि के भुगतान हेतु ₹59.98 लाख व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।